


- आदेश :-


उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इन दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती हैं। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः अभिलेखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खात संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
डी.पी.ए. 284		श्रीमती 284			श्रीमती 284		
		श्रीमती 284	487	1.99	श्रीमती 284	487	1.99
		श्रीमती 284	488		श्रीमती 284	488	
		श्रीमती 284	66		श्रीमती 284	66	
		श्रीमती 284	67		श्रीमती 284	67	
		श्रीमती 284	68		श्रीमती 284	68	

984
18/11/21


 शिविर प्रभारी
 शिविर प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोड़वानी)
 (अति.जिला कलेक्टर, जोड़वानी)
 दिनांक 2021, पं.स. मौलासर

तहसीलदार, मौलासर


 शिविर प्रभारी
 शिविर प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोड़वानी)
 (अति.जिला कलेक्टर, जोड़वानी)
 दिनांक 2021, पं.स. मौलासर

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो ता निर्णय सुनार

उप तहसीलदार, मौलासर